

न्यायालय:-अमनदीप सिंह छाबड़ा,
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर जिला बालाघाट(म.प्र.)

आप. प्रक. क.-351/2014

संस्थित दिनांक 12.05.2014

फा. नं.-234503000132014

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र-बिरसा,

जिला-बालाघाट (म.प्र.)

- - - - -अभियोजन

// **विरुद्ध** //

राजूलाल पिता महेन्द्रलाल उम्र 29 साल,

साकिन मानेगांव थाना बिरसा, जिला बालाघाट (म.प्र.)

- - - - -आरोपी

// **निर्णय** //**(आज दिनांक 13/12/2017 को घोषित)**

01- आरोपी के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा-294, 323, 354 के तहत आरोप है कि उसने दिनांक 12.03.2014 को सुबह 08:00 बजे थाना बिरसा अंतर्गत ग्राम मानेगांव में फरियादी श्रीमती बेलाबाई चौधरी की सास के घर के आंगन में फरियादी श्रीमती बेलाबाई चौधरी जो कि एक स्त्री है, की लज्जा भंग करने के आशय से उसका हाथ पकड़कर उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग कर बेलाबाई को हाथ-मुक्कों से मारकर व जमीन में पटक कर स्वेच्छया उपहति कारित किया एवं फरियादी बेलाबाई चौधरी को अश्लील शब्दों का उच्चारण कर उसे व दूसरों को क्षोभ कारित किया।

02- संक्षेप में अभियोजन पक्ष का सार इस प्रकार है कि दिनांक 12.03.14 को प्रार्थिया श्रीमती बेलाबाई अपने पति राजकुमार के साथ थाना आकर रिपोर्ट दर्ज लेख कराई कि वह अपने पति के साथ हैदराबाद कमाने के लिये जा रही थी, तब घर में ताला लगाकर अपनी सास को घर की चाबी पिछले तीन महिने से दिये थे। दिनांक 11.03.14 की शाम को घर वापस आये और रात को सो गये थे। दिनांक 12.03.14 के सुबह उठकर घर का सामान चेक किये तो कुछ सामान नहीं मिला। सुबह करीब 08:00 बजे सास गुड्डीबाई के घर जाकर बताई कि घर के कुछ सामान नहीं है, तभी उसका जेठ राजूलाल चौधरी पीछे से आया और उसे गंदी-गंदी गालियाँ देते हुए बोला कि उसके घर का सामान कौन ले जाएगा, ऐसा कहने से मना करने पर उसने बोला कि ज्यादा

मुँह चलाती है चल आज तेरे साथ सोऊंगा और राजूलाल बुरी नियत से उसके दोनों हाथ पकड़ कर घर तरफ ले जाने लगा। पकड़ने से दोनों हाथों की चूड़ियाँ टूट गई, दोनों हाथों की कलाईयों में चोट आई। उसके पति राजकुमार ने बोला कि वह जेठ है और बहू के साथ ऐसा क्यों कर रहा है, तो उसे भी हाथ-मुक्कों से मारपीट किया और जमीन पर पटक दिया, जिससे दाहिने हाथ की कोहनी के पास चोट आई। उक्त रिपोर्ट के आधार अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना दौरान प्रार्थी एवं गवाहों के कथन लेख किये गये। घटनास्थल का मौका-नक्शा, जप्ती, गिरफ्तारी तथा मुलाहिजा की कार्यवाही की गई। आरोपी राजूलाल को गिरफ्तार किया गया। संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र तैयार किया जाकर न्यायालय में पेश किया गया।

03— आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-294, 323, 354 के अंतर्गत आरोप पत्र तैयार कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर उसने जुर्म अस्वीकार किया एवं विचारण का दावा किया। विचारण के दौरान फरियादी/आहत बेलाबाई ने आरोपी से राजीनामा कर लिया, जिस कारण आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-294 एवं 323 के अपराध से दोषमुक्त किया गया तथा भारतीय दण्ड संहिता की धारा-354 भा.द.वि. के शमनीय न होने से विचारण किया गया।

04— प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु यह है कि:-

1. क्या आरोपी ने दिनांक 12.03.2014 को सुबह 08:00 बजे थाना बिरसा अंतर्गत ग्राम मानेगांव में फरियादी श्रीमती बेलाबाई चौधरी की सास के घर के आंगन में फरियादी श्रीमती बेलाबाई चौधरी जो कि एक स्त्री है, की लज्जा भंग करने के आशय से उसका हाथ पकड़कर उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग किया ?

विचारणीय बिन्दु का निष्कर्ष:-

05— परिवादी बेलाबाई अ.सा.4 ने कहा है कि वह आरोपी को जानती है जो उसका जेठ है। घटना उसके न्यायालयीन कथन से करीब चार वर्ष पूर्व सुबह करीब 8:00 बजे मानेगांव की है। घटना के समय आरोपी से उसका और उसके पति का मौखिक विवाद हुआ था, जिसके बाद वह अपने

घर चले गया। फिर लोगों के कहने पर उसने उसी दिन आरोपी के विरुद्ध थाना बिरसा में प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.04 दर्ज कराई थी, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस को उसने झगड़े वाली जगह बताई थी और पुलिस ने उसके बताये अनुसार मौका-नक्शा प्र.पी.05 बनाया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने घटनास्थल से कुछ टुकड़े जप्त कर जप्ती पत्रक बनाया था। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान लिये थे।

06— परिवारी बेलाबाई अ.सा.4 से न्यायालय द्वारा सूचक प्रश्न पूछे जाने पर यह कथन किया है कि घटना दिनांक 12.03.2014 को आरोपी ने उसे कुतिया, वेश्या, उसके साथ सोऊंगा ऐसा नहीं कहा था और उसका हाथ पकड़कर घर तरफ नहीं ले जा रहा था। साक्षी के अनुसार उसके हाथ की चूड़ियाँ घर पर टूट गई थी। आरोपी उसके पति राजकुमार की हाथ-मुक्कों से पिटाई नहीं किया था। साक्षी के अनुसार उसका एवं उसके पति का आरोपी के साथ मौखिक पारिवारिक विवाद हुआ था। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने बचाव पक्ष के इन सुझावों को स्वीकार किया है कि घटना के समय उसका आरोपी से केवल मौखिक विवाद हुआ था तथा आरोपी द्वारा किसी प्रकार की घटना कारित नहीं की गई थी। यह स्वीकार किया है कि उसका आरोपी के साथ समझौता हो गया है और वह उसके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं चाहती है।

07— परिवारी गुड्डीबाई अ.सा.01 ने कहा है कि वह आरोपी को पहचानती है। घटना लगभग दो वर्ष पूर्व की है। घटना के समय ग्राम मानेगांव घटनास्थल पर उसके दोनों बेटे राजकुमार और राजू के बीच विवाद हो रहा था, तभी बहू बेलाबाई ने आकर दोनों को अलग किया। इसके बाद बेलाबाई कहने लगी कि राजू ने उसके साथ खींचतान किया है और उसके बाद बेलाबाई ने थाने जाकर रिपोर्ट दर्ज करा दी। पुलिस ने उससे कोई पूछताछ नहीं की थी। उसने पुलिस को बयान नहीं दिया था।

08— परिवारी गुड्डीबाई अ.सा.01 से अभियोजन द्वारा सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने कथन किया है कि वह यह नहीं बता सकती कि घटना

दिनांक 12.03.14 की है। साक्षी ने इन सुझावों को अस्वीकार किया है कि घटना के सुबह आठ बजे उसकी बहू बेलाबाई घर में आकर सामान चोरी होने की बात बतायी तो राजू ने पीछे से आकर पकड़कर उसके साथ गाली-गलौच की, राजू बेलाबाई के दोनों हाथ पकड़कर खींचतान कर उसे अपने घर तरफ ले जाने लगा तो बेलाबाई की चूड़ियाँ टूट गयी और कलाईयों में चोट आयी, बीच-बचाव करने पर राजू ने राजकुमार से मारपीट की थी। साक्षी ने पुलिस बयान प्रपी-01 न देना व्यक्त किया। यह अस्वीकार किया कि उसका आरोपी के साथ समझौता हो गया है इसलिये न्यायालय में असत्य कथन कर रही है। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने बचाव पक्ष के इन सुझावों को स्वीकार किया है कि राजू और बेलाबाई के बीच पहले से वाद विवाद था तथा राजू और राजकुमार के बीच आपसी वाद विवाद शांत हो गया था और दोनों अपने-अपने घर चले गये थे, उसके बाद बेलाबाई ने राजू के विरुद्ध कब रिपोर्ट करायी उसे जानकारी नहीं है, मौके पर राजू द्वारा प्रार्थिया से कोई छेड़छाड़ नहीं की गयी थी, पूर्व में वाद विवाद के कारण बेलाबाई द्वारा आरोपी के विरुद्ध झूठी रिपोर्ट पुलिस थाना बिरसा में दर्ज करायी गई है।

09— परिवादी मटियाबाई अ.सा.2 ने कहा है कि वह आरोपी को पहचानती है। उसे घटना के संबंध में कोई जानकारी नहीं है। पुलिस ने उससे कोई पूछताछ नहीं की थी। उसने पुलिस को कोई बयान नहीं दिया था। अभियोजन द्वारा साक्षी से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने कथन किया कि वह यह नहीं बता सकती कि घटना दिनांक 12.03.14 को सुबह आठ बजे की है। साक्षी ने इन सुझावों को अस्वीकार किया है कि गुड्डीबाई के घर तरफ से चिल्लाने की आवाज आने पर उन लोग वहां गये थे तो बेलाबाई ने बताया था कि जेठ राजूलाल पीछे से आकर बुरी नियत से दोनों हाथ पकड़कर खींचतान कर उसे अपने घर तरफ ले जा रहा था, बेलाबाई ने बताया था कि खींचतान करने से उसके दोनों हाथ की चूड़ियाँ टूट गयी थी तथा आरोपी उसे गाली गलौच कर पकड़कर ले जा रहा था और पति राजकुमार से मारपीट की थी। साक्षी ने उसका पुलिस बयान प्रपी-02 पुलिस को न देना व्यक्त किया।

10— परिवादी मंगलीबाई अ.सा.03 ने कहा है कि वह आरोपी एवं प्रार्थिया बेलाबाई को जानती है। उसे घटना के संबंध में कोई जानकारी नहीं है। पुलिस ने

कोई पूछताछ नहीं की थी। उसने पुलिस को कोई बयान नहीं दिया था। अभियोजन द्वारा साक्षी से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इन सुझावों को अस्वीकार किया है कि घटना दिनांक 12.03.14 को सुबह 08:00 बजे ग्राम मानेगांव की है वह और मटियाबाई उसके घर के सामने खड़े थे तभी गुड्डीबाई के घर तरफ से आवाज आने पर जाकर देखा तो बेलाबाई ने बताया कि उसके जेठ राजूलाल ने पीछे से आकर बुरी नियत से उसके दोनों हाथ पकड़कर उसे घर तरफ ले जा रहा था और कुतिया वेश्या आज तेरे साथ सोऊंगा कह रहा था, राजू के पकड़ने से बेलाबाई के दोनों हाथों की चूड़ियाँ टूट गयी और हाथ की कलाई में चोट आयी। साक्षी ने उसका पुलिस कथन प्र.पी.03 पुलिस को न देना व्यक्त किया।

11— फरियादी बेलाबाई अ.सा.04 ने अपने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि घटना के समय उसका आरोपी के साथ केवल मौखिक विवाद हुआ था और आरोपी द्वारा किसी प्रकार की घटना कारित नहीं की गई थी। उसका आरोपी के साथ समझौता हो गया है और वह आरोपी के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं चाहती है। फरियादी बेलाबाई अ.सा.04 घटना की एकमात्र प्रत्यक्षदर्शी साक्षी है, जिसने घटना से स्पष्ट इंकार किया है। प्रकरण में आरोपित अपराध के संबंध में अन्य साक्षीगण गुड्डीबाई अ.सा.01, मटियाबाई अ.सा.02 एवं मंगलीबाई अ.सा.03 ने भी घटना होने से स्पष्ट इंकार किया है। ऐसी स्थिति में साक्ष्य के पूर्ण अभाव में अभियुक्त के विरुद्ध कोई निष्कर्ष नहीं दिया जा सकता। फलतः अभियोजन पक्ष संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि आरोपी राजूलाल ने घटना दिनांक समय व स्थान पर फरियादी श्रीमती बेलाबाई चौधरी की सास के घर के आंगन में फरियादी श्रीमती बेलाबाई चौधरी जो कि एक स्त्री है, की लज्जा भंग करने के आशय से उसका हाथ पकड़कर उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग किया। अतः अभियुक्त राजूलाल को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-354 के अपराध के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

12— अभियुक्त के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

13— प्रकरण में अभियुक्त अभिरक्षा में निरुद्ध नहीं रहा है। इस संबंध में पृथक से धारा-428 द.प्र.सं का प्रमाण पत्र बनाकर प्रकरण में संलग्न किया

जावे।

14— प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति कांच की टूटी हुई चूड़ियों हरे-नीले रंग की मूल्यहीन होने से नष्ट की जावे तथा अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व मेरे निर्देशन पर टंकित किया।
दिनांकित कर घोषित किया गया।

सही /—
(अमनदीपसिंह छाबड़ा)
न्या.मजि.प्र. श्रेणी, बैहर
जिला बालाघाट

सही /—
(अमनदीपसिंह छाबड़ा)
न्या.मजि.प्र. श्रेणी, बैहर
जिला बालाघाट